समाहरणालय, मुंगेर
(जिला आपूर्त्ति शाखा)

आदेश

सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6726/खाद्य दिनांक–24.11.2016 द्वारा निदेशक, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक-P20028/2/200-PP(Vol-IV)(Pt) दिनांक-28.10.2016 के आलोक में थोक किरासन तेल विक्रेताओं को देय पूनरीक्षित कमीशन की सूचना प्राप्त हुई जो दिनांक–28.10.2016 से प्रभावी है तथा जिला के सभी थोक किरासन तेल विक्रेताओं द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्गत बीजक (चालान) की प्रति संलग्न करते हुए सूचित किया गया है कि किरासन तेल के दर एवं कमीशन में वृद्धि हुई है। तद्नुसार इनके द्वारा दर निर्धारण करने का अनुरोध किया गया है। पूर्व में एक टैंक लौरी किरासन तेल का दर 176784/–रू0 था, जो वर्तमान में बढ़कर दिनांक 01.11.2016 से 15.11.2016 तक 179784/–रू0 एवं दिनांक 16.11.2016 से 30.11.2016 तक बढ़कर 182784/–रू0 हो गया। इस प्रकार माह नवम्बर 2016 में एक टैंक लौरी किरासन तेल के दर में 182784–176784=6000/–रू0 की कुल वृद्धि हुई है।

पुनरीक्षण से पूर्व एवं बाद में मिलने वाला कमीशन निम्नवत् हैं।

पूनरीक्षण के पूर्व कमीशन

1. वैसे थोक विक्रेता जो फार्म XV के अन्तर्गत हैं :– 714.18 रू0 (सात सौ चौदह रूपये अठारह पैसे) प्रति K.L.
2. वैसे थोक विक्रेता जो फार्म XV के अन्तर्गत नहीं हैं :– 649.16 रू0(छः सौ उन्चास रूपये सोलह पैसे) प्रति K.L.

पूनरीक्षण के बाद कमीशन

1. वैसे थोक विक्रेता जो फार्म XV के अन्तर्गत हैं :– 787.82 रू0 (सात सौ सत्तासी रूपये बेरासी पैसे) प्रति K.L.
2. वैसे थोक विक्रेता जो फार्म XV के अन्तर्गत नहीं हैं :– 723.87 रू0(सात सौ तेईस रूपये सत्तासी पैसे) प्रति K.L.

तद्नुसार किरासन तेल के थोक एवं खुदरा बिक्री दर संलग्न तालिका के अनुरूप निम्नवत निर्धारित किया जाता हैं, जो दिनांक–01.11.2016 से प्रभावी होगा।

क्र0	थोक किरासन तेल विक्रेता का नाम	थोक बिक्री दर (प्रति लीटर)	खुदरा बिक्री दर (प्रति लीटर)	
			ज0वि0प्र0 विक्रता	ठेला भेन्डर
1	2	3	4	5
1.	मे0 उदय प्रकाश अशोक कुमार, मुंगेर	**17.41**	**18.41**	**18.52**
2.	मे0 गिरजा ऑयल डिस्ट्रब्यूटर्स, तारापुर	**18.00**	**19.00**	**19.11**
		18.26	**19.26**	**19.37**
4.	मे0 धरहरा पेट्रोलियम, धरहरा	**17.56**	**18.56**	**18.67**

13/12/16

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांकः–1-6/16–1229/जि0आ0, दिनांकः–13/12/2016

प्रतिलिपि :– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, खड़गपुर/सभी प्रखण्ड आपूर्त्ति पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी थोक किरासन तेल विक्रेता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अध्यक्ष, जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ, मुंगेर/अध्यक्ष, ठेला भेन्डर एसोसिएशन, मुंगेर को सूचनार्थ एवं पुनरीक्षित निर्धारित दर से सभी विक्रेताओं को अवगत कराने हेतु प्रेषित।

13/12/16

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांकः–1229/जि0आ0, दिनांकः–13/12/2016

प्रतिलिपि :– सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं पुनरीक्षित दर निर्धारित संबंधी निर्गत आदेश को अनुमोदित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी(NIC),मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/12/16

जिला पदाधिकारी
मुंगेर।